[1][नियम 37क : प्रदायकर्ता द्वारा कर के असंदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय की वापसी और उसकी पुनः उपलब्धता

जहां एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3(ख)** में विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया है, ऐसे बीजक या डेबिट नोट के संबंध में, जिसका विवरण प्रदायकर्ता द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर–1** [2][प्ररूप जीएसटीआर–1क में यथा संशोधित, यदि कोई हों] में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए जावक प्रदाय के विवरण में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् सितंबर के तीसवें दिन तक ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा उक्त कर अवधि के जावक प्रदाय के विवरण के अनुरूप **प्ररूप जीएसटीआर–3(ख)** में विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें ऐसे बीजक या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर प्रत्यय की कथित राशि को, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् नवंबर के तीसवें दिन या उससे पहले **प्ररूप जीएसटीआर–3(ख)** में रिर्टन दाखिल करते समय, वापस किया जाएगा;

परंतु जहां इनपुट कर प्रत्यय की उक्त राशि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर–3(ख)** में विवरणी में 30 नवंबर को या उससे पहले ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् वापस नहीं की जाती है, जिसके दौरान इस तरह के इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया है, ऐसी राशि उक्त व्यक्ति द्वारा धारा 50 के अधीन उस पर ब्याज सहित देय होगी।

परंतु यह और कि जहां उक्त प्रदायकर्ता पश्चात् में उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3(ख)** में विवरणी प्रस्तुत करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके बाद की कर अवधि के लिए प्रस्तुत **प्ररूप जीएसटीआर–3(ख)** विवरणी में इस तरह के प्रत्यय की राशि का पुनः लाभ उठा सकता है।**]**

---

[1] अधिसूचना क्रमांक 26/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा नियम 37क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

[2] अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा अंतःस्थापित। प्रभावशील दिनांक 10.07.2024।